फर्द अहकाम
अवमानना प्रकरण सं0 21/19
बलराम बनाम सुभाषचन्द्र
अ0 आदेश 39(2)एसी0पी0सी0

पत्रावली जिला मुख्यालय कैम्प श्री गंगानगर पर प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 39 नियम 2 ए एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया सहिता के माध्यम से अनुतोष चाहा है कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30–12–16 की अवमानना के कृत्य में अप्रार्थी को दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त बहस के खण्डन में कहा है कि निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 110/16 में पारित एकपक्षीय स्थगन दिनांक 30–12–16 को आदेश दिनांक 2–2–22 से निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अवमानना याचिका निष्प्रभावी हो गई है। अतः अवमानना याचिका निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner